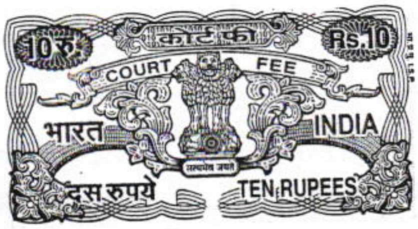

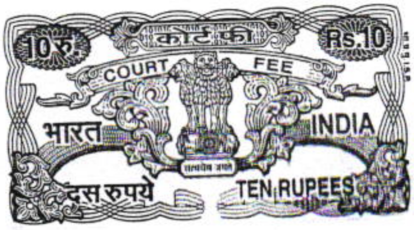


अपील आवेदन
भु.रा.सं. नियम 44 के अंतर्गत :–

## श्रीमान सदस्य महोदय,
## राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर, केम्प इन्दौर

A-961-PBR/16

अपील कं.
दिनांक :– १६.३.२०१६

बंशीलाल पिता घिसीलाल राठौर
निवासी भीकनगाँव ---अपीलार्थी

विरूद्ध

ओमप्रकाश पिता घिसीलाल राठौर
निवासी भीकनगाँव --प्रत्यर्थी

अपील :– कस्बा भीकनगाँव तहसील भीकनगाँव की भूमि खसरा नं. 211 रकबा हे. 1.693 लगान 5.72 पैसे सर्वे नं. 212, रकबा 0.340 तथा सर्वे नं. 213/1 व 214/1 की ऋणपुस्तिका प्रत्यर्थी को जारी नहीं करने बाबद।

**इसमें अपीलार्थी की ओर से निवेदन है कि :–**

श्रीमान तहसीलदार महोदय भीकनगाँव के न्यायालय प्रकरण कं. 478 बी–121/2014–15 में दिनांक 28/10/2015 को आदेश पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, (राजस्व) भीकनगाँव के न्यायालय में अपील कं. 06/15–16 प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील आदेश दिनांक 25/01/16 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त की गई है। उक्त आदेश दिनांक 25/01/16 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर के न्यायालय में अपील कमांक 161/अपील/2015–16 प्रस्तुत की गई थी जो कि आदेश दिनांक 09/02/2016 द्वारा निरस्त की गई है। उक्त आदेश दिनांक 09/02/16 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी निम्न कारणों से निर्धारित न्याय शुल्क एवं समयावधि के अंतर्गत इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते है।

अपील के कारण

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

(वंशीलाल राठौर / ओमप्रकाश)

प्रकरण क्रमांक अपील 961 –पीबीआर / 16 जिला खरगोन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 29–3–2016 | अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के आदेश दिनांक 09–02–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(2) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में तीसरी अपील प्रस्तुत की गई है । संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत तृतीय अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं है । अतः यह अपील विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |